संख्या-34/2015-1132/38-6-15-12एसजीएसवाई/2008

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-19 नवम्बर, 2015**

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) की स्थापना हेतु जनपद-मुरादाबाद से संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

शासनादेश सं0-6-1343/38-6-14-12(एसजीएसवाई)/2008, दि0-16.12.2014 के क्रम में जिलाधिकारी-मुरादाबाद के पत्रांक-436(1)/जि0भू0व्य0लि0/2015-16, दि0-01.09.2015 तथा मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर, लखनऊ के पत्र सं0-5403/408/आरसेटी/आजीविका/2015, दि0-15.09.2015 के अनुसार जनपद-मुरादाबाद में आरसेटी की स्थापना हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर संशोधन स्वरूप आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि के आवंटन के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार निम्न विवरण के अनुसार संशोधन स्वरूप नवीन भूमि आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत भूमि का विवरण	परिवर्तन स्वरूप प्रस्तावित भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/प्र0 वि0	लीड बैंक
1	2	3	4	5	6
1	मुरादाबाद	ग्राम-फाजलपुर, तहसील व जिला-मुरादाबाद, गाटा सं0-50 मि0 रकबा - 0.700 हे0	ग्राम-मोरामुस्तहकम, तहसील व जिला-मुरदाबाद, गाटा सं0-88, रकबा-0.056 हे0 व 89 रकबा-0.090 हे0 कुल 2 किते रकबा-0.146 में से 0.086 हे0	ग्राम सभा, राजस्व विभाग	सिंडीकेट बैंक

2- उक्त तालिका के कालम-4 में प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग का होने के कारण शासन स्तर पर राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त की गई है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासनादेश सं0-6-1343/38-6-14-12(एसजीएसवाई)/2008, दि0-16.12.2014 तथा समय-समय पर निर्गत अनुवर्ती अन्य शासनादेशों में उल्लिखित भूमि आवंटन/लीज पर दिये जाने की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे तथा उक्त शासनादेश दि0-16.12.2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

कृपया तदनुसार जनपद में आरसेटी भवन के निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के संबंध में अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2015-1132(1)/38-6-15,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2-प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4-मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5-मण्डलायुक्त-मुरादाबाद, उ0प्र0 द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
6-मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जनपद-मुरादाबाद, उ0प्र0 द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
7-प्राचार्य, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मुरादाबाद ।
8-संबंधित लीड बैंक आफिसर द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
9-जनरल मैनेजर/असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सिंडिकेट बैंक, उ0प्र0 लखनऊ।
10-मुख्य महाप्रबन्धक एस.एल.बी.सी. गोमतीनगर, लखनऊ।
11-सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवां तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।
12-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in